संख्या-969/2025/79/22-2-2024-17(126)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल पुत्र श्री सियाराम निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-35546/प्रो0-7/सीमित/एम0-30.11.2023), दिनांक 11.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल पुत्र सियाराम, जो नगला हुलासी, थाना-सिरसागंज, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। दिनांक 08.02.2012 को वादी सर्वेश की पुत्री/पीड़िता घर पर थी, तो अभियुक्त अनिल की बहन रेखा वादी के घर आयी और पीड़िता को 10वीं के रिजल्ट के बहाने लायी तथा रास्ते से अभियुक्त अनिल पीड़िता को कार में बिठा ले गया और उसे 40 दिन तक कमरे में रखा तथा उसके साथ बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-212/2013, भा0द0वि0 की धारा-376,363,366 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय(एफ0टी0सी0)संख्या-01, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 13.08.2018 द्वारा 20 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.07.2023 तक अपरिहार 07 वर्ष, 04 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 08 माह, 26 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी दिनांक 08.02.2012 को वादी सर्वेश की पुत्री/पीड़िता घर पर थी, तो अभियुक्त अनिल की बहन रेखा बादी के घर आयी और पीड़िता को 10वीं के रिजल्ट के बहाने लायी तथा रास्ते से अभियुक्त अनिल पीड़िता को कार में बिठाकर ले गया, और उसे 40 दिन तक कहीं कमरें में रखा तथा उसके साथ बलात्कार किया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अनिल पुत्र सियाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल (बन्दी संख्या-18815) पुत्र श्री सियाराम, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-969/2025/79(1)/22-2-2024-17(126)/2024,तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-969/2025/79/22-2-2024-17(126)/2024

दिनांकः 04 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल पुत्र सियाराम, जो नगला हुलासी, थाना-सिरसागंज, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। दिनांक 08.02.2012 को वादी सर्वेश की पुत्री/पीड़िता घर पर थी, तो अभियुक्त अनिल की बहन रेखा वादी के घर आयी और पीड़िता को 10वीं के रिजल्ट के बहाने लायी तथा रास्ते से अभियुक्त अनिल पीड़िता को कार में बिठा ले गया और उसे 40 दिन तक कमरे में रखा तथा उसके साथ बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-212/2013, भा0द0वि0 की धारा-376,363,366 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय(एफ0टी0सी0)संख्या-01, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 13.08.2018 द्वारा 20 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.07.2023 तक अपरिहार 07 वर्ष, 04 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 08 माह, 26 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी दिनांक 08.02.2012 को वादी सर्वेश की पुत्री/पीड़िता घर पर थी, तो अभियुक्त अनिल की बहन रेखा बादी के घर आयी और पीड़िता को 10वीं के रिजल्ट के बहाने लायी तथा रास्ते से अभियुक्त अनिल पीड़िता को कार में बिठाकर ले गया, और उसे 40 दिन तक कहीं कमरें में रखा तथा उसके साथ बलात्कार किया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अनिल पुत्र सियाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in